AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Corporate Identification Number (CIN)- U40109RJ2000SGC016482
Regd. Off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makadwali Road, Ajmer-305004
Phone:- 0145-2644519, Fax:- 0145-2644518
email:- secretaryavvnl@gmail.com, website:- www.avvnl.com

No. AVVNL / MD / Secy.(Admn.) /Estt.-T&P/D. 6610 Date 13.12.2017

ORDER

The reconstituted Co-ordination Committee of Rajasthan State Power Sector Companies in its 8th meeting held on 7th November 2017 has approved the **Transfer Policy** in respect of Officers / Officials of Administrative / Accounts / Ministerial / Technical Cadres of Ajmer Discom as per **Annexure "A"**

The Transfer Policy shall be effective from 1st April, 2018

This is subject to rectification by the Board of Directors.

By order,

(K. C. Lakhara)
Secretary(Admn)
AVVNL, Ajmer

Copy to the following for information and necessary action.

1. The CE/ZCE/ACE( ),AVVNL,Ajmer/ _____
2. The CAO( ), AVVNL,Ajmer/ _____
3. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
4. The SE ( ), AVVNL, Ajmer/_____
5. The Addl. S.P.(Vig.), AVVNL, Ajmer.
6. The TA/PS to Energy Minister, GoR, Jaipur.
7. The Sr.AO/AO/AAO( ), AVVNL, Ajmer/ _____
8. The DDP/PO/AS/PRO( ), AVVNL,Ajmer/ _____
9. The XEN/AEN( ), AVVNL,Ajmer/ _____
10. The TA to Managing Director, Ajmer.
11. The PA to MD/Director(Fin./Tech.), AVVNL, Ajmer/Jaipur.
12. Notice Board / MF

Secretary(Admn)

Scanned by CamScanner

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Corporate Identification Number (CIN)- U40109RJ2000SGC016482
Regd. Off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makadwali Road, Ajmer-305004
Phone:- 0145-2644519, Fax:- 0145-2644518
email:- secretaryavvnl@gmail.com, website:- www.avvnl.com

Annexure-"A"

विषय :– अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु दिशानिर्देश

निगम में उपलब्ध जनशक्ति एवं उसकी योग्यताओं का समुचित उपयोग करते हुए निगम के वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) के पारदर्शी स्थानान्तरण हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

1. स्थानान्तरण समय

1.1 वर्ष में एक बार माह अप्रैल–मई में सामान्य स्थानान्तरण किये जायेंगे किन्तु विशिष्ट परिस्थिति में स्थानान्तरण अन्य समय में भी किये जा सकते हैं।

2. एक पद पर ठहराव की अवधि

2.1 किसी भी निगम कार्मिक को साधारणतया 02 वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में 02 वर्ष से पूर्व भी कार्मिकों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा :–

- पदोन्नति/पदावनति/पद समापन पर,
- शिकायत उपरान्त प्रारम्भिक जांचकर्ता द्वारा स्थानान्तरण की सिफारिश किये जाने पर,
- कार्मिक की योग्यताओं व अनुभव के मध्यनजर किसी विशिष्ट कार्य हेतु पदस्थापन करने के लिये प्रबन्ध निदेशक की अनुमति/अनुमोदन से,
- बिन्दु संख्या 3.6 की परिस्थितियाँ होने पर।

2.2 किसी भी पद पर अधिकतम ठहराव की अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

पदनाम	पवस कार्यालय में	पवस के अलावा कार्यालय में
कनिष्ठ/सहायक/अधिशाषी अभियंता एवं समकक्ष	03 वर्ष	03 वर्ष
लेखाधिकारी स्तर तक के लेखा संवर्ग के कार्मिक	03 वर्ष	03 वर्ष
उपभोक्ता शिकायत लिपिक/स्टोर कीपर/सहायक स्टोर कीपर/कैशियर/वार्ड कीपर	03 वर्ष	03 वर्ष
अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी	05 वर्ष (प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात् कार्य में बदलाव)	10 वर्ष (प्रत्येक 03 वर्ष पश्चात् कार्य में बदलाव)
मीटर इंस्पेक्टर/मीटर रीडर	03 वर्ष (प्रत्येक 01 वर्ष पश्चात् बीट में बदलाव)	.....
अन्य तकनीकी कर्मचारी	10 वर्ष (प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात् कार्यक्षैत्र में बदलाव)	10 वर्ष (प्रत्येक 02 वर्ष पश्चात् कार्यक्षैत्र में बदलाव)

Scanned by CamScanner

2.3 किसी पद को निर्धारित अधिकतम अवधि पूर्ण होने पर कार्मिक का स्थानान्तरण किया जायेगा किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है :–

- किसी परियोजना जैसे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में पदस्थापित कार्मिक,
- कार्मिक की योग्यताओं के मध्यनजर किसी विशिष्ट कार्य हेतु प्रबन्ध निदेशक की अनुमति/अनुमोदन से,
- बिन्दु संख्या 3.6 की परिस्थितियाँ होने पर।

2.4 सामान्यतः किसी भी प्रशिक्षु कार्मिक का स्थानान्तरण परीविक्षा काल में नहीं किया जायेगा किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है :–

- पद समापन पर,
- शिकायत उपरान्त प्रारम्भिक जांचकर्ता द्वारा स्थानान्तरण की सिफारिश किये जाने पर,
- स्वयं/पति–पत्नि/पुत्र–पुत्री के गंभीर अस्वस्थता होने की स्थिति में,
- विधवा/परित्यकता/दिव्यांगों के आवेदन पर इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण।

3. सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत

3.1 ऐसे समस्त संवर्ग जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में पद सृजित हैं, के प्रशिक्षु कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों (जैसा कि अनुसूची में दिया गया है) में की जाएगी।

3.2 ऐसे समस्त संवर्ग जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में पद सृजित हैं, में सहायक अभियंता व समकक्ष पद तक के पदों पर पदोन्नति होने पर ग्रामीण क्षेत्रों (जैसा कि अनुसूची में दिया गया है) में पदस्थापित किया जायेगा।

3.3 किसी एक पद पर इन दिशा निर्देशों में निर्धारित अधिकतम ठहराव के कारण कई कार्मिकों का स्थानान्तरण एक साथ संभावित है, जो कि वांछनीय नहीं है। अतः प्रत्येक वृत में एक वर्ष में 20 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों (अधिकारियों को छोड़ते हुए) को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। लम्बी अवधि के कारण स्थानान्तरण करते समय अधिक ठहराव की वरीयता के आधार पर स्थानान्तरण किये जायेंगे।

3.4 ऐसे कार्मिकों जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार या अन्य आपराधिक प्रकरण लम्बित हैं, की पदस्थापना फील्ड पोस्टिंग, रोकड़ लेनदेन जैसे संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

3.5 पति एवं पत्नि दोनों के निगम/सरकारी विभाग अथवा अधीनस्थ लोक उपक्रम में सेवारत होने की दशा में दोनों को एक ही स्थान पर यथासम्भव पदस्थापित किया जायेगा।

3.6 निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्मिकों को यथासम्भव इच्छित स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा :–

- स्वयं/पति–पत्नि/पुत्र–पुत्री के गंभीर अस्वस्थता होने की स्थिति में,
- कार्मिक के सेवानिवृति में दो वर्ष या उससे कम समय अवधि होने की स्थिति में उसके आवेदन पर इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण,
- विधवा/परित्यकता/दिव्यांगों के आवेदन पर इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण।

3.7 कार्मिक के परिवारजन यथा–पत्नि या बच्चों के मानसिक रूप से विक्षिप्त/गंभीर रोग से ग्रस्त होने पर पदस्थापना ऐसे स्थान पर जहां वे बीमारी से ग्रसित परिवारजन का यथोचित उपचार करवा सके, के सम्बन्ध में, समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर विचार किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

3.8 कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण अथवा वांछित स्थान पर पदस्थापन के लिए राजनीतिक दबाव या अन्य किसी तरह से स्थानान्तरण प्रक्रिया को प्रभावित करने को दुराचरण मानकर सम्बन्धित हितकारी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3.9 कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन इस प्रकार से किया जाये, जिससे उन्हें निगम की विभिन्न शाखाओं/विभागों का पर्याप्त कार्य अनुभव प्राप्त हो सके।

4. शिथिलन

किसी प्रकरण विशेष के गुणावगुण के आधार पर प्रशासनिक कारणों से उपरोक्त दिशा निर्देशों में प्रबन्ध निदेशक द्वारा छूट दी जा सकेगी किन्तु यदि स्थानान्तरण हेतु प्रबन्ध निदेशक स्वयं सक्षम प्राधिकारी हैं तो शिथिलन हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति अनिवार्य होगी।

****

Scanned by CamScanner